संख्या-17/2022/446/58-1-2022-54-2002(002)/4/2021 Part1

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 30 मार्च,2022

विषय : आई0सी0डी0एस0 योजनान्तर्गत जनपद मिर्जापुर, आजमगढ़, खीरी, प्रयागराज, शामली, गोरखपुर, कन्नौज, फतेहपुर, चंदौली, देवरिया, आगरा व वाराणसी के विकास खण्डों में माइक्रोएंटरप्राइज द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर रेसिपी बेस्ड टेक होम राशन के उत्पादन एवं वितरण हेतु उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को अग्रिम धनराशि भुगतान किये जाने के सम्बंध में ।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1010/बा0वि0परि0/लेखा/2021-22, दिनांक 17 फरवरी, 2022 एवं पत्र संख्या- 895-97/बा0वि0परि0/लेखा/2021-22, दिनांक 21 मार्च, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें ।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बाल विकास परियोजना में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर योजनान्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप लाभार्थियों को रेसिपी बेस्ड टेक होम राशन के उत्पादन एवं वितरण हेतु कुल रु0 27,52,30,850.00 (रु0 सत्ताइस करोड़ बावन लाख तीस हजार आठ सौ पचास मात्र) (केन्द्रांश रु0 13,76,15,425.00 व राज्यांश रु0 13,76,15,425.00) की धनराशि का उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को अग्रिम भुगतान किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त धनराशि का अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या्-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017, दिनांक 15.11.2017, शासनादेश संख्यार-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.83 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10.06.11 तथा शासनादेश दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(2) इस सम्बंध में निर्गत वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेशों में निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(3) धनराशि का अग्रिम आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा । अग्रिम आहरण के फलस्वरूप शासन को यदि कोई हानि होती है,तो उसके लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(4) एक बार में एक माह के अनुमानित आवश्यकता के बराबर की धनराशि अग्रिम के रूप में आहरित की जायेगी।

(5) योजना से सम्बन्धित भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सुसंगत गाउडलाइन्स एवं नियमों का पालन किया जायेगा।

(6) आहरित धनराशि का समायोजन उसके अगले माह के समाप्त होने के तुरन्त बाद के माह में अवश्य कर लिया जायेगा। प्रश्नगत स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में किये जाने का दायित्व वित्त् नियंत्रक/निदेशक,बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा ।

(7) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा,उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक,बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 (यथासंशोधित) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वहीं उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(9) पिछले स्वीकृत किये गये समस्त अग्रिमों एवं अब स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम के समायोजन की स्थिति से वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जायेगा। समायोजन सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही अगले अग्रिम आहरण का प्रस्ताव किया जायेगा।

(10) आंगनवाड़ी केन्द्र पर एक माह के व्यय का अनुमान सम्बन्धित सामग्रियों के प्रचलित मूल्य के आधार पर यथासम्भव वास्तविकता के नजदीक निर्धारित किया जायेगा।

(11) जैसे-जैसे असंचालित केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ होगा उसी आधार पर सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

(12) उपरोक्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जाने वाली धनराशि के व्यय से सम्बन्धित लेखों के रख-रखाव,बैंक खाते से नियमित रूप से समाधान (रिकन्सीलिएशन) आडिट के सम्बंध में विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से विस्तृत दिशा-निर्देश यथाशीघ्र जारी किये जायेंगे तथा इसमें विभिन्न स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण कर दिया जायेगा।

(13) पूर्व में स्वीकृत समस्त अग्रिम का समायोजन 31.03.2022 तक अवश्य कराया जायेगा।

3- इस सम्बंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0125-पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार (के0-50/-50-के0+रा0) के मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति " के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त् विभाग के अशासकीय संख्या-E-4-3547-X-2022, दिनांक 29.03.2022 द्वारा दी गयी सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-17/2022/446(1)/58-1-2022, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार,लेखा प्रथम/आडिट प्रथम,उ0प्र0,प्रयागराज।
2. मुख्यख कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
3. वित्तख (व्यरय-नियंत्रण)अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1।
4. वित्त (आय-व्ययक)-1/वित्त (लेखा)अनुभाग-1।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,उ0प्र0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in